तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **जगदीष प्रसाद बनाम श्यामलाल** अपील संख्या 107/2013 (जीसीएमएस अपील संख्या 2013/00013)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.08.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उनकी बहस प्रार्थना पत्र राजीनामा पर सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि पक्षकारान के मध्य मौजिज लोगों की आपसी समझाईश से आपस में राजीनामा हो गया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 48 रकबा 1.03 हैक्टयर स्थित ग्राम बहतू कलां तहसील कठमूर जिला अलवर है जिस आराजी के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट जगदीश का जो हिस्सा 5/12 दर्ज है, वह हिस्सा जगदीश का ही है और उस पर जगदीश ही काबिज है, उक्त आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय श्रीमान में जो अपील अपीलान्ट जगदीश द्वारा प्रस्तुत की गई है, उस अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.01.2012 उनवानी श्यामलाल बनाम जगदीश को निरस्त किये जाने में रेस्पोडेन्ट श्यामलाल को कोई एतराज किसी प्रकार का नही है और ना भविष्य में रहेगा। अतः प्रार्थना पत्र राजीनामा स्वीकार कर बरूये राजीनामा अपील अपीलान्ट जगदीश विरूद्ध रेस्पोडेन्ट श्यामलाल स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2012 को निरस्त किया जावें तथा नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 06.01.2003 वाके ग्राम बहतू कलां तहसील कठूमर जिला अलवर को बहाल किया जावें। हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली अभिलेख का अवलोकन किया गया जिससे विदित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्यामलाल द्वारा नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 06.01.1983 को विधि विरूद्ध बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई जो अपील अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2012 द्वारा स्वीकार होकर एवं उक्त नामान्तरकरण संख्या 110 को विधि सम्मत नही मानते हुए प्रकरण तहसीलदार कठूमर को रिमाण्ड किया गया है और अब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्यामलाल द्वारा राजीनामा के आधार पर उसी नामान्तरकरण संख्या 110 को विधि सम्मत कहते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का कथन अपने राजीनामा में किया जा रहा है जो कि न्यायिक दृष्टि से उचित नही है क्योंकि पटवारी हल्का द्वारा ग्राम बहतूखुर्द की आराजी की वसीयत के आधार पर	

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **जगदीष प्रसाद बनाम श्यामलाल** अपील संख्या 107/2013 (जीसीएमएस अपील संख्या 2013/00013)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ग्राम बहतूकलां की आराजी का नामान्तरकरण भरा जाकर निर्णित करवाया गया है जो कि विधि सम्मत प्रतीत नही होता है तथा ऐसे प्रकरणों को जरिये राजीनामा बिना तहसीलदार की सहमति के निर्णित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। प्रकरण में भूमि होल्डर तहसीलदार को पक्षकार भी नही है जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण में तहसीलदार का अभिमत प्राप्त नही हुआ है। ऐसी स्थिति में में राज्यहित प्रभावित होना भी संभावित हैं। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थना पत्र राजीनामा व अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र राजीनामा एवं अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी कठूमर के अपीलाधीन निर्णय 27.01.2012 की पालना में तहसीलदार कठूमर द्वारा की जाने वाली रिमाण्ड कार्यवाही के दौरान प्रकरण में राज्यहित प्रभावित होने की संभावनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक रूप से विस्तृत जॉच की जाकर विधि सम्मत कार्यवाही की जावें।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर